FORM – D

न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ०ग) (पीठासीन अधिकारी - पल्लव रघुवंशी)
निर्णय दिनांक :27.11.2024 दांडिक प्रकरण क्रमांक :955/2022 CNR No. :CGKW02-001675-2019

शिकायतकर्ता/परिवादी	संदीप गुप्ता पिता श्री दौवा प्रसाद गुप्ता, उम्र 43 वर्ष, निवासी राधाकृष्ण बडे मंदिर के सामने वार्ड नंबर 12 कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम छ.ग.
परिवादी की ओर से	श्री हीरा सिंह ठाकुर अधिवक्ता
अभियुक्त	राकेश गुप्ता पिता श्री रामभुवन गुप्ता, उम्र 35 वर्ष, निवासी पुराना राज विडियो के पास गुप्ता कबाडी कवर्धा, थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग.
अभियुक्त की ओर से	श्री चांद खान अधिवक्ता

FORM – E

परिवाद उत्पन्न होने का दिनांक	21.09.2023
परिवादी /अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	05.11.2019
आरोप विरचित करने का दिनांक	20.10.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	28.11.2023
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	23.09.2024
निर्णय की तिथि	23.11.2024
सजा आदेश की तिथि	23.11.2024

अभियुक्त का विवरण

आरोपी का रैंक	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दी गई सजा	धारा 428 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
1	राकेश गुप्ता	19.10.2022	19.10.2022	138 परक्राम्य	धारा परक्राम्य लिखत अधिनियम	आरोपी को 01 माह के साधारण	–

PALLAVE RAGHUVANSHI

Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:34:27 +0530

				लिखत अधिनियम 1881	के तहत दोषसिद्ध किया गया ।	कारावास एवं परिवादी को प्रतिकर स्वरूप कुल 1,80,000/– रूपये (अक्षरी एक लाख अस्सी हजार रूपये) प्रतिकर 45 दिन के भीतर प्रदान करेगा ।	

FORM – F

क्र०	विवरण	
1	निर्णय का शीर्षक	2
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	3
3	आरोप पत्र	3–4
4	स्वीकृत तथ्य	4
5	परिवाद संक्षिप्त विवरण /अभि०कहानी	4–6
6	आरोपी की प्रतिरक्षा	–
7	अवधारणीय प्रश्न/विचारणीय बिन्दु	6–7
8	कारण और निष्कर्ष	7–20
9	सजा	20–21
10	निरोध की अवधि एवं सेट-ऑफ	20–21
11	सम्पत्ति का व्ययन	–
12	मुआवजा/प्रतिकर का आदेश	21
13	धारा **428** दं०प्र०सं० का प्रमाण-पत्र	22
14	सजा में प्रतिबद्धता का वारंट (कारावास या अर्थदण्ड)	20–21
15	निर्णय की प्रति	संलग्न

न्यायालयः पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला कबीरधाम, कवर्धा(छ०ग)

आप० प्र० क्र० –955/2022

संस्थित दि.–05.11.2019

संदीप गुप्ता पिता श्री दौवा प्रसाद गुप्ता, उम्र 43 वर्ष,

PALLAVE RAGHUVANSHI

Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:34:39 +0530

निवासी राधाकृष्ण बडे मंदिर के सामने वार्ड नंबर 12 कवर्धा,
थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम छ०ग० ....**परिवादी**

//विरूद्ध//

राकेश गुप्ता पिता श्री रामभुवन गुप्ता, उम्र 35 वर्ष,
निवासी पुराना राज विडियो के पास गुप्ता कबाडी कवर्धा
जिला कबीरधाम छ०ग० ... ...**अभियुक्त**

परिवादी की ओर से श्री हीरा सिंह ठाकुर अधिवक्ता ।
अभियुक्त की ओर से श्री चांद खान अधिवक्ता ।

//निर्णय//
(आज दिनांक 27.11.2024 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 लिखत पराक्रम्य अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने परिवादी को अपने ऋण दायित्वों के भुगतान में यूको बैंक, शाखा कवर्धा का धनादेश क्रमांक 420721, दिनांकित 11.09.2019 राशि 1,40,000/– का प्रदत्त किया था । परिवादी द्वारा धनादेश के भुगतान हेतु उसे अपने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा दिनांक 21.09.2019 को चेक अपर्याप्त राशि की टीप के साथ अनादृत कर दिया गया । धनादेश के अनादरण की सूचना अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.09.2023 को उसे प्रेषित

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:34:42 +0530

की गई जिसे उसे प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर भी उसने परिवादी को धनादेश की राशि का भुगतान नहीं किया गया ।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03. परिवादी का मामला संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि परिवादी का ऑटो पाट्र्स का दुकान है तथा अभियुक्त के पास 02–03 मोटर वाहन है और साथ ही साथ अभियुक्त कबाडी का काम करता है । परिवादी एवं अभियुक्त एक ही जाति समाज के होने से दोनों का आपस में पारिवारिक संबंध भी है । अभियुक्त को अपने पारिवारिक कार्य एवं मोटर वाहन के किश्त तथा कबाडी धंधा हेतु रकम की आवश्यकता हुई तब अभियुक्त ने उक्त कार्यो के लिए 4,00,000/–रुपये की आवश्यकता बताकर परिवादी से अक्टूबर 2016 में 4,00,000/–रूपये उधार मांगा था तब परिवादी ने दिनांक 21.10.2016 को अभियुक्त को 4,00,000/–रूपये उधार दिया था । अभियुक्त द्वारा उक्त रकम को दो वर्ष बाद लौटाने का आश्वासन दिया था ।

04. परिवादी ने आगे यह कथन किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से उधार लिये उक्त 4,00,000/–रूपये के भुगतान के लिए

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:34:48 +0530

दिनांक 30.12.2018 को अपने इलाहाबाद बैंक शाखा कवर्धा के खाता क्रमांक 5028617288 से परिवादी के नाम 4,00,000/– रूपये का चेक क्रमांक 000666 में हस्ताक्षर कर परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया था जिसके अनादृत हो जाने के कारण परिवादी ने अभियुक्त को दिनांक 14.01.2019 को पंजीकृत नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया था । नोटिस प्राप्त होने के बाद अभियुक्त ने फरवरी 2019 में परिवादी को 2,60,000/–रूपये का भुगतान कर शेष रकम 1,40,000/–रूपये के भुगतान के लिए 06 माह का और समय मांगा था । उक्त 06 माह बाद अभियुक्त ने उक्त शेष रकम 1,40,000/–रूपये के भुगतान के लिए अपने युको बैंक शाखा कवर्धा का चेक क्रमांक 28880210000878 दिनांक 11.09.2019 को परिवादी के नाम 1,40,000/–रूपये भरकर परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया था ।

05. परिवादी द्वारा उक्त चेक को संबंधित बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक से चेक ''फण्ड इनसफिसियेंट'' के आधार पर अनादृत होने की जानकारी परिवादी को प्राप्त होने पर उसके द्वारा विधिवत सूचना आरोपी को दिये जाने पर आरोपी द्वारा विहित अवधि के भीतर चेक राशि प्रदान न करने पर परिवादी द्वारा वर्तमान परिवाद

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:34:52 +0530

पत्र पेश किया है ।

06. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनने से उक्त धारा के तहत अपराध विवरण की विरचना कर पढ़कर सुनाए जाने से अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार का विरचना किए जाने का मांग किया । अभियुक्त को धारा 313 द०प्र०सं० के तहत परीक्षण किया गया जिसमें आरोपी के द्वारा स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए बचाव साक्ष्य देना व्यक्त कर किसी भी साक्षी का कथन नहीं कराया है ।

07. न्यायालय के समक्ष प्रकरण के समूचित निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु उद्भुत होते है–

1. क्या अभियुक्त ने अपने विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए अपने बंधन बैंक शाखा कवर्धा स्थित खाते का चेक क्रमांक 420721 राशि ₹ 1,40,000/– (एक लाख चालीस हजार रुपए) परिवादी को उसकी ऋणराशि के संदाय किए जाने हेतु प्रदान किया है ?

2. क्या अभियुक्त द्वारा प्रदत्त चेक क्रमांक– 420721 राशि ₹

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:05 +0530

1,40,000/– (एक लाख चालीस हजार रुपए) ‘‘फण्ड इनसफिसियेंट’’ के कारण अनादरित हो गया ?

3. क्या अभियुक्त को अनादरण की सूचना विहित समय में दिए जाने पर उसकी प्राप्ति के बाद 15 दिवस के भीतर भी चेक में अंकित रकम का भुगतान परिवादी को नहीं किया है ?

4. क्या अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी ने विहित समयावधि के भीतर परिवाद संस्थित किया गया है ?

5. दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति ?

//साक्ष्य की विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष//

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

08. परिवादी ने उसके परिवाद को प्रमाणित करने हेतु परिवादी संदीप गुप्ता (परिवादी साक्षी 01) का परीक्षण कराया है । विवादित चेक क्रमांक 420721 प्र.पी–01, चेक को बैंक में प्रस्तुत किये जाने की पावती प्र.पी–02, चेक अनादरण मेमो प्र.पी–03, अभियुक्त को भेजी गई मांग सूचना पत्र प्र.पी–04, मांग सूचना भेजे जाने की रजिस्ट्री की रसीद प्र.पी–05, भेजे गये मांग सूचना पत्र जो दावा नहीं किया टीप के साथ वापस प्राप्त हुआ प्र.पी–06 को प्रस्तुत किया है।

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:08 +0530

09. संदीप गुप्ता (प0सा0 01) ने अपने शपथपत्रीय साक्ष्य में अपने परिवाद पत्र के कथनों के अनुरूप कथन किया है तथा यह कहा है कि उसका ऑटो पार्ट्स का दुकान है तथा अभियुक्त के पास 02–03 मोटर वाहन है और साथ ही साथ अभियुक्त कबाडी का काम करता है। वह एवं अभियुक्त एक ही जाति समाज के होने से दोनों का आपस में पारिवारिक संबंध भी है। अभियुक्त को अपने पारिवारिक कार्य एवं मोटर वाहन के किश्त तथा कबाडी धंधा हेतु रकम की आवश्यकता हुई तब अभियुक्त ने उक्त कार्यो के लिए 4,00,000/–रुपये की आवश्यकता बताकर उससे अक्टूबर 2016 में 4,00,000/–रूपये उधार मांगा था तब उसने दिनांक 21.10.2016 को अभियुक्त को 4,00,000/–रूपये उधार दिया था। अभियुक्त द्वारा उक्त रकम को दो वर्ष बाद लौटाने का आश्वासन दिया था।

10. परिवादी के अनुसार अभियुक्त ने उससे उधार लिये उक्त 4,00,000/–रूपये के भुगतान के लिए दिनांक 30.12.2018 को अपने इलाहाबाद बैंक शाखा कवर्धा के खाता क्रमांक 5028617288 से उसके नाम 4,00,000/–रूपये का चेक क्रमांक 000666 में हस्ताक्षर कर उसके पक्ष में निष्पादित किया था जिसके

PALLAVE RAGHUVANSHI Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI Date: 2024.11.27 16:35:15 +0530

अनादृत हो जाने के कारण उसने अभियुक्त को दिनांक 14.01.2019 को पंजीकृत नोटिस अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया था । नोटिस प्राप्त होने के बाद अभियुक्त ने फरवरी 2019 में उसको 2,60,000/–रूपये का भुगतान कर शेष रकम 1,40,000/–रूपये के भुगतान के लिए 06 माह का और समय मांगा था । उक्त 06 माह बाद अभियुक्त ने उक्त शेष रकम 1,40,000/–रूपये के भुगतान के लिए अपने युको बैंक शाखा कवर्धा का चेक क्रमांक 28880210000878 दिनांक 11.09.2019 को उसके नाम 1,40,000/–रूपये भरकर परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया था जो प्र.पी–01 है ।

11. साक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि उसके द्वारा उक्त चेक को विहित अवधि में संबंधित बैंक में जमा किये जाने पर चेक अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हो गया तथा उसके द्वारा विहित अवधि में सूचना पत्र प्र.पी–04 दिये जाने पर भी आरोपी द्वारा उसे उक्त राशि विहित अवधि में अदा नहीं की गई । साक्षी द्वारा आरोपी को भेजे गये नोटिस प्र.पी–04 की रजिस्टर नोटिस की डाक विभाग द्वारा भेजी गई रसीद प्र.पी–05 को प्रस्तुत किया है।

12. आरोपी द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:20 +0530

किया है तथा आरोपी का सम्पूर्ण बचाव प.सा. 01 के प्रतिपरीक्षण पर आधारित है । उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रस्तुत होने वाले परिवाद के संबंध में यह पूर्णतः स्थापित है कि परिवादी को विधिक रूप से वसूलनीय ऋण के अस्तित्व को ठोस साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करना चाहिये। यह स्थापित विधि है कि यदि अभियुक्त प्रश्नगत चेक में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार कर लेता है तो अधिनियम की धारा 118 एवं 139 की उपधारणा परिवादी के पक्ष में आकर्षित हो जाती है और ऐसी उपधारणा जब तक परिवादी के पक्ष में बनी रहती है, तब तक अभियुक्त द्वारा तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है।

13. इस संबंध में यह विधिक प्रश्न उत्पन्न होता है कि अभियुक्त के लिये तत्प्रतिकूल का प्रमाणन भार किस प्रकार का होता है। इस संबंध में भी विधि पूर्णतः स्पष्ट है। अभियुक्त को संभावनाओं की प्रबलता (Preponderance of probabilities) के आधार पर न्यायालय के समक्ष तथाकथित विधिक रूप से वसूलनीय ऋण के अस्तित्व के संबंध में एक संभावित प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना चाहिये, जिससे न्यायालय विधिक रूप से वसूलनीय ऋण को अस्तित्वविहिन मान सके।

PALLAVE RAGHUVANSHI Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI Date: 2024.11.27 16:35:24 +0530

14. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त ने सक्षम संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर या तो परिवाद के साक्षी के प्रतिपरीक्षण से अथवा अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर परिवादी के मामले में ऐसा संदेह प्रमाणित कर दिया है, जिससे 1,40,000/–रूपये के ऋण के दायित्व के अस्तित्व पर संदेह किया जा सके ।

15. चूंकि चेक प्र.पी–01 पर आरोपी द्वारा अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है एवं इस कारण पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 118 एवं 139 की उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध पुष्ट रूप से उद्भूत हुई है।

16. उक्त परिस्थिति में अधिनियम की धारा 118 के अनुसार यह उपधारणा की जायेगी कि प्रपी–01 का चेक प्रतिफलार्थ लिखा गया था, अंतिम तिथि पर लिखा गया था, परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहित किया गया था, विद्यमान पृष्ठांकन उस क्रम में किये गये थे जिसमें वे उस पर विद्यमान है तथा धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा भी परिवादी के पक्ष में किये जाने योग्य है और अभियुक्त पर विधितः प्रर्वतनीय ऋण अथवा दायित्व के अस्तित्व को नासाबित करने का प्रमाण भार था।

17. आरोपी द्वारा उक्त उपधारणा के खंडन में परिवादी

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:28 +0530

संदीप गुप्ता प.सा.–01 के प्रतिपरीक्षण में यह बचाव लिया है कि प्रकरण को प्रस्तुत करने के पूर्व उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस चेक के संदर्भ में भेजा था तथा यह भी स्वीकार किया कि उक्त नोटिस को आरोपी द्वारा प्राप्त किये जाने के पश्चात उसका और आरोपी का आपस में राजीनामा हो गया था तथा राजीनामा अनुसार आरोपी द्वारा उसे चेक राशि दे दी गई थी । साक्षी आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसके शपथपत्रीय साक्ष्य में उसका केवल हस्ताक्षर है तथा उक्त शपथपत्रीय साक्ष्य में क्या लिखा है वह नहीं बता सकता तथा यह भी स्वीकार किया है कि उक्त शपथपत्रीय साक्ष्य को उसके अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया था तथा उसने केवल उसमें हस्ताक्षर किया था ।

18. इस प्रकार आरोपी द्वारा परिवादी के प्रतिपरीक्षण में मुख्य रूप से यह प्रतिरक्षा ली है कि उसके द्वारा परिवादी को राजीनामा अनुसार चेक की राशि का भुगतान कर दिया गया है । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र एवं शपथपत्र में यह उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आरोपी को दिनांक 21.10.2016 को चार लाख रूपये उधार दिये थे तथा आरोपी द्वारा उसे दिनांक 30.12.2018 को उक्त चार लाख रूपये की राशि का

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:32 +0530

चेक प्रदान किया था जिसके अनादृत हो जाने पर परिवादी ने आरोपी को दिनांक 14.01.2019 को पंजीकृत नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया था तथा उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद फरवरी 2019 में आरोपी ने परिवादी को दो लाख साठ हजार रूपये का भुगतान कर शेष राशि एक लाख चालीस हजार रूपये के संबंध में छः माह की अवधि के पश्चात उक्त राशि के संबंध में चेक प्र.पी–01 दिया था । इस प्रकार परिवादी द्वारा शेष राशि के संबंध में आरोपी से चेक प्र.पी–01 प्राप्त करना बताया है तथा उक्त चेक प्र.पी–01 के अनादरण के पश्चात परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को विधिक नोटिस प्र.पी–04 भी भेजा जाना बताया है तथा उक्त रजिस्टर्ड नोटिस की रसीद प्र.पी–05 एवं 06 प्रस्तुत की है जिसे आरोपी द्वारा प्राप्त नहीं होने का बचाव लिया है परन्तु इस संबंध में साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 27 में यह उल्लेखित है कि ''जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो किसी दस्तावेज को अंर्तविष्ट रखने वाले पत्र उचित रूप से पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और उसे रजिस्ट्रीकृत डॉक द्वारा डॉक में भेजने से तामिल हुई समझी जायेगी और जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह समझा जायेगा कि तामील उस समय हो चुकी थी जब वह पत्र

PALLAVE RAGHUVANSHI Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI Date: 2024.11.27 16:35:36 +0530

डॉक के मामूली अनुक्रम में परिदत्त हो जाता,'' ।

19. इस संबंध में न्यायदृष्टांत (मेसर्स इंडो ऑटोमोबाईल वि. मेसर्स जयदुर्गा इंटरप्राइजेस एवं अन्य) 2009(2)सी.जी.एल.जे 297 (एस.सी.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि एक बार सही पते पर पावती सहित पंजीकृत डॉक से नोटिस भेजी जाती है तो यह अवश्य मानना चाहिए कि तामीली कर दी गई है। इसी प्रकार माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत मुजफ्फर हुसैन मंसूरी विरूद्ध देवेन्द्र त्रिवेदी 2008 **SCC Online MP 629** में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 114(एफ) तथा साधारण खंड अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत रजिस्टर्ड डॉक से सही पते पर प्रेषित नोटिस की तामीली किये जाने की उपधारणा किये जाने के संबंध में अभिनिर्धारण किया गया है। इस प्रकार मांग सूचना पत्र अभियुक्त के सही पते पर पंजीकृत डॉक के माध्यम से प्रेषित किये जाने तथा उक्त खंडन में अभियुक्त की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रकरण में पेश नहीं किये जाने से अभियुक्त पर उक्त नोटिस की विधिवत् तामीली होना मानी जावेगी ।

20. **इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत (सी.सी. अलावी हॉजी विरूद्ध पालापेट्ट टी मुहम्मद व**

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:39 +0530

अन्य) (2007) 6 SSC 555 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

It is also to be borne in mind that the requirement of giving of notice is a clear departure from the rule of Criminal Law, where there is no stipulation of giving of a notice before filing a complaint. Any drawer who claims that he did not receive the notice sent by post, can, within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under Section 138 of the Act, make payment within 15 days of receipt of summons from the court in respect of the complaint under Section 138 of the Act, make payment of the cheque amount and submit to the Court that he had made payment within 15 days of receipt of summons (by receiving a copy of complaint with the summons) and, therefore, the complaint is liable to be rejected. A person who does not pay within 15 days receipt of the summons from the Court along with the copy of the

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:43 +0530

complaint under Section 138 of the Act, cannot obviously contend that there was no proper service of notice as required under Section 138, by ignoring statutory presumption to the contrary under Section 27 of the G.C. Act and Section 114 of the Evidence Act. In our view, any other interpretation of the proviso would defeat the very object of the legislation. As observed in Bhaskarans case, (supra) if the "giving of notice" in the context of Clause 9 (b) of the proviso was the same as the "receipt of notice" a trickster cheque drawer would get the premuim to avoid receiving the notice by adopting different strategies and escape from legal consequences of Section 138 of the Act.

21. उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन प्रकरण में प्रपी–01 के चेक के अनादरण पश्चात् अथवा न्यायालय द्वारा प्रेषित समंस तामीली उपरांत 15 दिवस की अवधि में उक्त चेक में वर्णित राशि का संदाय अभियुक्त द्वारा परिवादी को किये जाने बाबत् कोई साक्ष्य भी अभियुक्त द्वारा पेश नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में यह

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:35:59 +0530

प्रमाणित होता है कि परिवादी द्वारा प्रपी–01 के चेक के अनादरित होने के पश्चात् नियत समयावधि में रजिस्टर्ड डॉक द्वारा अभियुक्त को मांग सूचना पत्र प्रेषित कर प्रपी–01 के चेक की राशि की मांग की गई थी। अभियुक्त को रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित किया था जिसे अभियुक्त ने लिया था। उपरोक्तानुसार अभियुक्त पर नोटिस की सम्यक् रूप से तामिली की उपधारणा की जावेगी।

22. चूंकि परिवादी द्वारा नोटिस प्र.पी–04 आरोपी के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजा गया था एवं उक्त उल्लेखित पते पर ही न्यायालय द्वारा भी आरोपी के विरूद्ध समंस/वारंट जारी किया गया था एवं उक्त उल्लेखित पते की तामिली पर ही आरोपी वर्तमान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हुआ है एवं इस कारण यह प्रमाणित होता है कि नोटिस प्र.पी–04 आरोपी को प्राप्त हुआ था तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं आरोपी को उक्त आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है ।

23. वहीं दूसरी ओर प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि आरोपी द्वारा अपराध विवरण की प्ली में यह प्रतिरक्षा ली थी कि उसके द्वारा परिवादी से मात्र एक लाख रूपये लेने के एवज में

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:36:04 +0530

बतौर सुरक्षार्थ कोरा हस्ताक्षरित चेक दिनांक 11.09.2019 को प्रदान किया गया था तथा उक्त राशि उसके द्वारा परिवादी को दी जाने की प्रतिरक्षा भी ली है तथा आरोपी द्वारा अपने अभियुक्त कथन अंतर्गत धारा 313 दप्रसं में यह प्रतिरक्षा ली है कि उसने परिवादी से कुल 1,30,000/–रूपये लिये थे जिसे उसने वापस कर दिया है तथा इस प्रकार आरोपी द्वारा राशि के संबंध में दो भिन्न–भिन्न बातें अपने अपराध विवरण की प्ली एवं अभियुक्त कथन में ली गई है तथा आरोपी द्वारा उक्त राशि परिवादी को दिये जाने के संबंध में अपनी ओर से कोई साक्ष्य भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है एवं यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि आरोपी द्वारा परिवादी को उक्त राशि दी जा चुकी थी तब आरोपी द्वारा चेक प्र.पी–01 को परिवादी से वापस लेने के संबंध में कोई कार्यवाही की हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है एवं इस कारण यह प्रमाणित होता है कि आरोपी द्वारा विधिक दायित्व या ऋण के उन्मोचन हेतु चेक प्र.पी–01 को परिवादी के पक्ष में जारी किया था ।

24. इस प्रकार संपूर्ण प्रकरण में अभियुक्त द्वारा कोई साक्ष्य अथवा विनिर्दिष्ट रूपेण अभिकथन को प्रमाणित न किये जाने से पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 139 एवं 118 (क) की

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:36:12 +0530

उपधारणा का खंडन नहीं किया जा सका है, जिस कारण यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा अपने विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु चेक क्रमांक 420721 प्र0पी0 01 का परिदान परिवादी के पक्ष में किया था।

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02, 03 एवं 04//

25. चेक के अनादरण के संबंध में प्र0पी0 03 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा कवर्धा का वापसी मेमो से स्पष्ट है कि दिनांक 21.09.2019 को चेक क्रमांक 420721 ''फण्ड इनसफिसियेंट'' के कारण अनादरित हो गया था। अधिनियम की धारा 146 के अधीन भी यह साक्ष्य की श्रेणी का है जिसे अभियुक्त द्वारा खण्डित नहीं किया जा सका है।

26. आगामी प्रक्रम में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु धारा 138 के परन्तुक (क),(ख) एवं (ग) का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। परन्तुक (क) संबंध में उल्लेखनीय है कि चेक क्रमांक 420721 को दिनांक 11.09.2019 को अंकन किया गया है, जिसे 20.09.2019 को भुगतान हेतु बैंक में जमा किया गया। जो यह दर्शित करता है कि चेक विहित समयावधि 03 मास के अंदर प्रस्तुत किया गया। परन्तुक

PALLAVE RAGHUVANSHI

Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:36:16 +0530

(ख) के संबंध में उल्लेखनीय है कि अनादरण तिथि 21.09.2019 की सूचना दिनांक 30.09.2019 को प्रेषित की गयी जो दर्शित करता है कि विहित समयावधि ''30 दिवस'' में सूचना प्रेषित की गयी थी।

27. परन्तुक (ग) के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 05 के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 01.10.2019 को उक्त रजिस्टर्ड नोटिस आरोपी के रजिस्टर्ड पते पर भेजा गया है जिसे अभियुक्त ने प्राप्त किया है । इस कारण उक्त सूचना सम्यक् रूप से तामील मानी जाएगी तथा उक्त सूचना प्राप्ति के 15 दिवस तक भी राशि न दिए जाने पर दिनांक 05.11.2019 को परिवाद संस्थित किया गया जो धारा 142(ख) के अनुसार भी विधिनुसार है।

28. अतः उपरोक्तानुसार समस्त विचारणीय प्रश्न का सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त होने पर अभियुक्त को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध पाया जाता है।

<u>//दण्डादेश//</u>

29. यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित है और उभयपक्ष के मध्य ऋण लेनदेन से संबंधित है तथा वर्तमान

PALLAVE RAGHUVANSHI Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI Date: 2024.11.27 16:36:22 +0530

समय में चेक अनादरण के प्रकरण उच्च विृद्ध पर है इसलिए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देना उचित नहीं होगा। अतः **K.Bhaskaran vs Shanker Vidyabalan 1999(7) SCC 510** एवं **Harikishan vs Sukhweer singh and others 1989 CR.L.J. 116** में प्रतिपादित सिद्धांतो के अनुसार अभियुक्त को **01 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है** तथा दप्रसं की धारा 357(3) के अनुसार आरोपी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को प्रतिकर स्वरूप कुल **1,80,000/–रूपये (अक्षरी एक लाख अस्सी हजार रूपये)** प्रतिकर 45 दिन के भीतर प्रदान करेगा तथा उक्त प्रतिकर राशि अदा न करने पर आरोपी को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावेगा ।

30. अभियुक्त के समस्त जमानत एवं बंधपत्र निरस्त कर भारमुक्त किए जाते है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437–क का बंधपत्र निर्णय तिथि से छः माह तक प्रभावशील रहेगा।

31. अभियुक्त को निर्णय की प्रति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 363(1) के अनुसार निःशुल्क प्रदान किया जावे।

32. प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य की विषय वस्तु होने के कारण अभिलेख का अंग होगें। अपील होने की दशा में माननीय

PALLAVE RAGHUVANSHI
Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI
Date: 2024.11.27 16:36:26 +0530

अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण किया जाये ।

33. अभियुक्त के संबंध में धारा– 428 द०प्र०सं० के तहत प्रमाण पत्र बनाकर निर्णय एवं सजा वारंट में संलग्न किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया

PALLAVE RAGHUVANSHI Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI Date: 2024.11.27 16:36:30 +0530

{पल्लव रघुवंशी}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कबीरधाम(कवर्धा)(छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

PALLAVE RAGHUVANSHI Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI Date: 2024.11.27 16:36:34 +0530

{पल्लव रघुवंशी}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कबीरधाम(कवर्धा)(छ.ग.)

स्थान :– कबीरधाम (कवर्धा)
दिनांक 27.11.2024

–धारा 428 द०प्र०सं० के तहत तैयार निरोध अवधि का प्रमाण पत्र-

क्र	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	जमानत पर रिहा दिनांक	अभियुक्त के न्यायिक निरोध की अवधि को उसके मूल सजा अवधि में मुजरा की जानी है
1	राकेश गुप्ता	19.10.2022	निरंक	19.10.2022	निरंक

PALLAVE RAGHUVANSHI Digitally signed by PALLAVE RAGHUVANSHI Date: 2024.11.27 16:36:39 +0530

{पल्लव रघुवंशी}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कबीरधाम(कवर्धा)(छ.ग.)